खबर कोना

कांग्रेस आयोजित करेगी रोजगार मेला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 जून।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की ओर से 19 जून को तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे से रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इस रोजगार मेले में करीब 100 प्रमुख कंपनियां 5000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को सीधे रोजगार देने के लिए नियुक्त पत्र देंगी। यादव ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यह लगातार मांग रही है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आयोजित रोजगार मेले में राहुल गांधी के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के सपने को पूरा करेगा।

गाजीपुर के पशु व्यापारियों से उगाही करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 जून।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गाजीपुर मंडी के पशु व्यापारियों व ट्रांसपोर्टर से उगाही करने के आरोप में तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रविंदर शर्मा (47), पवन कुमार (56) और मुस्ताक अली (50) के रूप में हुई है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने तीन पिस्तौल, तीन कारतूस और दो कार व एक स्कूटी बरामद की है। ये तीनों बदमाश सरगना पवन गिरोह के सदस्य थे। उपायुक्त हर्ष इंदोरा ने शनिवार को बताया कि सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई। टीम ने काकरोला नाला रोड पर शक के घेरे में लेते हुए रविंदर शर्मा को कार के साथ पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल और एक कारतूस बरामद हुआ। इसकी निशानदेही पर गिरोह के सरगना पवन कुमार को भी पकड़ा गया, जिसके पास से एक पिस्तौल जब्त की गई। बाद में मुस्ताक अली को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक और पिस्तौल जब्त की। आरोपी पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी (एसपीसीए) के नाम का इस्तेमाल कर बंदूक का भय दिखाकर पशु व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली करते थे।

दिल्ली की सर्किल दरों में जल्द किया जाएगा संशोधन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में किया समिति का गठन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 जून।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को राजधानी में बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास और ईज आफ बिजनेस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए टास्क फोर्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्किल दरों में संशोधन करने का निर्देश दिया और इस कार्य को करने के लिए मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की।

यह समिति वर्तमान बाजार स्थितियों और संपत्ति मूल्यों के आधार पर एक विस्तृत रपट प्रस्तुत करेगी, जिसे बाद में सर्किल दरों को संशोधित करने के आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में मौजूदा सर्किल रेट ढांचे में विसंगतियां हैं जिनका पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और उन्होंने टास्क फोर्स को सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद जल्द से जल्द रपट पेश करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनधिकृत कालोनियों, हाउसिंग सोसाइटियों, कालोनियों के पुनर्विकास और औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

अनधिकृत कालोनियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने सभी नागरिक एजंसियों को उनके सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीडीए और शहरी विकास विभाग को इन कालोनियों में मालिकाना हक और संपत्ति पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर एक व्यापक और विस्तृत रपट तैयार करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्किल दरों को संशोधित करने, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने, भवन उप-नियमों को सरल बनाने और विभिन्न एजंसियों के बीच समन्वय में सुधार करने पर विशेष चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में अनावश्यक देरी से बचने के लिए निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

व्यावसायिक-रिहायशी भूखंड जोड़ने पर कम होगा शुल्क

बैठक के दौरान टास्क फोर्स द्वारा रपट प्रस्तुत की गई। इस रपट में राजधानी के समग्र विकास के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव शामिल थे। रपट में एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली का कार्यान्वयन, सभी एजंसियों में मानकीकृत विकास नियंत्रण मानदंड और बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए समयबद्ध अनुमोदन सुनिश्चित करने जैसे प्रस्ताव दिए गए हैं। व्यावसायिक और रिहायशी भूखंडों को जोड़ने के लिए सरकारी शुल्क को कम करने पर भी सहमति बनी है। इससे उद्यमियों, व्यवसायियों और स्टार्टअप के लिए भूखंड जोड़ना सस्ता और निर्माण करना आसान होगा। सर्कल दर को बाजार भाव के आधार पर तय किया जाएगा। व्यापार और आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में विकास की गति तेज होगी। ग्रीन बिल्डिंग पालिसी में वाणिज्यिक के साथ-साथ आवासीय क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी।

निजी विद्यालय शिक्षा के मंदिर नहीं, माफिया के अड्डे बनते जा रहे : आप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 जून।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर शनिवार को हमला किया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मात्र तीन महीने में भाजपा ने दिल्ली की निजी शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा माफिया के हवाले कर दिया। वहीं, जब दिल्ली में आप की सरकार थी, तब शिक्षा माफिया पर नकेल कसा गया था।

भाजपा के शासनकाल में दिल्ली के निजी स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं, माफिया के अड्डे बनते जा रहे हैं। सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि बच्चों की पढ़ाई और शुल्क जैसे गंभीर मुद्दे पर अभिभावकों को अंधेरे में रखकर सरकार कानून ला रही है। शिक्षा माफिया पर आप ने दस वर्षों तक लगाम लगाकर रखी। अब भाजपा ने आते ही उसे खुली छूट दे दी।

भ्रम फैला रही है आप : भाजपा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप ने 10 वर्षों तक शिक्षा सुधार और निजी स्कूलों के शुल्क वृद्धि जैसे संवेदनशील मुद्दों पर घड़ियाली आंसू बहाए। आज भी उनकी कुछ बड़े निजी स्कूलों से सांठगांठ है और और उनके इशारे पर भाजपा की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा फीस नियंत्रण कानून पर भ्रम फैला रहे हैं। सचदेवा ने मनीष सिसोदिया के बयान को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि सिसोदिया को बताना चाहिए कि अगर उनकी सरकार ने कथित शिक्षा माफिया पर कोई लगाम लगाई थी तो वो इतनी कमजोर क्यों थी कि वह उनके जाते ही टूट गई।

जनपथ स्थित इमारत में लगी आग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 जून।

नई दिल्ली के जनपथ स्थित सीसीएस इमारत में शनिवार सुबह आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर 15 दमकल को मौके पर भेजा गया। दमकल ने कड़ी मशक्कत आग पर काबू पाया। दिल्ली दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 11:13 बजे आग लगने की जानकारी मिली थी। आग जनपथ स्थित सीसीएस इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी थी। दमकल ने कड़ी मशक्कत कर आग पर दोपहर करीब 12:20 बजे काबू पाया। अधिकारी ने बताया कि आग एक हाल में लगी थी, जो वहां रखे फर्नीचर, सामान तक फैल गई।

कोई हताहत नहीं

बाप-बेटा और दामाद वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 जून।

द्वारका जिला पुलिस ने जिले में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में बाप-बेटा व दामाद को गिरफ्तार किया है। ये केवल अपने रिश्तेदारों को ही गिरोह में शामिल करते थे।

पिछले एक महीने में इन आरोपियों ने 20-25 वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपियों की पहचान रोहिणी सेक्टर-5 निवासी रमन उर्फ राकेश, उसका बेटा सागर और दामाद रोहिणी सेक्टर-16 निवासी नीरज उर्फ राहुल उर्फ कालू के तौर पर की गई है। जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि द्वारका पुलिस ने एक सप्ताह तक 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद इस गिरोह को पकड़ा। रमन ने अपने बेटे सागर और दामाद नीरज के साथ मिलकर एक ऐसा गिरोह बनाया, जिसमें केवल परिवार के सदस्य ही शामिल थे। ताकि विश्वासघात न हो सके और इसकी जानकारी बाहर न जा सके। यह गिरोह कथित तौर पर महंगी गाड़ियां चुराने में माहिर है। जांच में पता चला कि आरोपी ज्यादातर सुबह के शुरुआती घंटों में सक्रिय होते थे और पार्कों व जिम के पास खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। वे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर गाड़ियों के सुरक्षा तकनीक को निष्क्रिय कर कुछ ही मिनटों में चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस को सूचना मिली कि रमन अपने बेटे सागर के साथ चोरी की कार में उत्तम नगर में आएगा। पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से दो कार स्कैनर, एक ईसीएम, दो हथौड़े, 12 चाबियां और दो नंबर प्लेट बरामद किए गए।

अपने रिश्तेदारों को ही गिरोह में शामिल करते थे।

नरेला में दिव्यांग युवक की हत्या, नाबालिग पकड़ा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 जून।

राजधानी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना इलाके में शुक्रवार शाम एक मानसिक रूप से दिव्यांग युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान जेजे कालोनी, बवाना निवासी वसीम के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब 7:41 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना को हत्या की सूचना मिली। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां युवक का शव बरामद किया गया। वसीम के भाई के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। मौके पर फारेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए गए। इसी बीच टीम को पता चला कि वारदात में एक नाबालिग शामिल है।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि वसीम और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जो जल्द ही झगड़े में बदल गई। गुस्से में आकर नाबालिग ने वसीम पर कई बार हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पूछताछ में सामने आया कि वसीम और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जो जल्द ही झगड़े में बदल गई। गुस्से में आकर नाबालिग ने वसीम पर कई बार हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

नीट पीजी 2025: इंटर्नशिप की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली, 14 जून (संवाददाता)।

यूनाइटेड डाक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से नीट पीजी 2025 पात्रता के लिए इंटर्नशिप की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाने की अपील की है।

यूडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्य मित्तल ने कहा कि यदि यह तिथि नहीं बढ़ाई गई, तो मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर के 2019 बैच सहित देशभर के सैकड़ों एमबीबीएस छात्र नीट पीजी की पात्रता से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि फाइनल ईयर एमबीबीएस के परिणामों की घोषणा में हुई देरी के कारण सैकड़ों छात्रों की इंटर्नशिप विलंब से शुरू हुई, जिससे वे नीट पीजी 2025 के लिए पात्र नहीं माने जा सकते, जबकि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। छात्रों की मदद के लिए इंटर्नशिप की अंतिम तिथि 31 जुलाई की बजाय 31 अगस्त की जाए।

मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर फरार होने का आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 14 जून (संवाददाता)।

वसंत कुंज इलाके में पिछले सात जून को एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर फरार होने वाले आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी कार जब्त कर ली गई है। इस हादसे में घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी की पहचान बी जिनेंद्र जैन (51) के तौर पर की गई है।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह दुर्घटना सात जून की देर रात हुई, जब आशीष कुमार (27) शिव मूर्ति क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर दोपहिया वाहन चलाते समय आरोपी के वाहन की चपेट में आ गए थे। दक्षिणी पश्चिमी पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि सात जून की रात करीब 10:00 बजे एक इस घटना की जानकारी मिली थी। हादसा के बाद घायल को पहले गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया और बाद में सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गोयल ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जब्त की गई आरोपी की कार।

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
(भारत सरकार एवं महाराष्ट्र शासन का संयुक्त उपक्रम)
पुणे मेट्रो रेल परियोजना
A2, A3 ब्लॉक, जिला न्यायालय मेट्रो स्टेशन, न्यायमूर्ती रानडे पथ, शिवाजीनगर, पुणे 411005. दूरध्वनी 020-26011072 | www.punemetrorail.org
महा मेट्रो PUNE METRO

जाहिरात क्र.: MAHA-Metro/P/HR/03/2025 दिनांक : 29/05/2025

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नागपुर, पुणे, ठाणे मेट्रो रेल और नवी मुंबई मेट्रो लाइन-1 परियोजना के विभिन्न खंडों में विभिन्न पदों के लिए अनुबंध / प्रतिनियुक्ति के आधार पर पांच वर्ष की अवधी के लिए मेट्रो रेलवे / रेलवे / रेलवे पीएसयू / सरकारी संगठन / पीएसयू / मेट्रो संबद्ध बुनियादी ढांचा उद्योग / बुनियादी ढांचा उद्योगों में अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उपरोक्त विज्ञापन महा-मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

पदों, रिक्तियों, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, आवेदन कैसे करें, आदि के विवरण के लिए कृपया www.mahametro.org -'CAREERS' इस वेबसाईट को देखें।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 15 जुलाई, 2025

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
महा-मेट्रो, पुणे

स्पाइसजेट लिमिटेड
सीआईएन : L51909DL1984PLC288239
पंजीकृत कार्यालय : इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई स्थल, टर्मिनल 1डी, नई दिल्ली 110 037, भारत
दूरभाष : +91 124 391 3939 | फैक्स : +91 124 391 3844
ई-मेल : investors@spicejet.com | वेबसाइट : www.spicejet.com

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित पृथक एवं संयुक्त वित्तीय परिणाम

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अनुपालन में, स्पाइसजेट लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ने शुक्रवार 13 जून 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (पृथक एवं संयुक्त) ("परिणाम") का अनुमोदन किया है।

मैसर्स वॉकर्स चंडिओक एंड कंपनी एलएलपी तथा कंपनी के सॉविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा व्यक्त संशोधित राय(यों) अथवा आरक्षण(णों), यदि कोई हो, के साथ परिणाम तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, कंपनी की वेबसाइट https://corporate.spicejet.com/Content/pdf/SJFinancials_Q4_202425.pdf एवं स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं।

सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 47 के अनुपालन में, हम एतद्वारा अधिसूचित करते हैं कि परिणाम तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन निम्नलिखित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड को स्कैन करके भी प्राप्त किया व देखा जा सकता है :

स्थान : गुरुग्राम
दिनाँक : 13 जून, 2025

कृते स्पाइसजेट लिमिटेड
हस्ता./-
चंदन सांद
वरि. उपा. (विधि) तथा कंपनी सचिव

pnb पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

एसएएमबी, दिल्ली, चौथा तल, 7, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 ई-मेल : zs8343@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम: एसएएमबी, दिल्ली खाते का नाम: मेसर्स स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता:	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (B) बकाया राशि तक (C) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
1	**1. मेसर्स स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड** पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय - सी 201, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, नई दिल्ली- 110028 **इसके अलावा** - गोदाम - वाई-195, लोहा मंडी, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली **इसके अलावा** - औद्योगिक प्लॉट नंबर I-12, डीएलएफ औद्योगिक एस्टेट नंबर 1, गांव मेवला, महाराजपुर, फरीदाबाद **2. रवि गुप्ता (निदेशक एवं गारंटर)** निवास- पता - बी-13, गुलमोहर पार्क, दिल्ली- 110049 औद्योगिक प्लॉट नंबर वाई-195, नारायणा वेयर हाउसिंग स्कीम, लोहा मंडी, दिल्ली **3. मीना गुप्ता (गारंटर) निवास** पता - बी-13, गुलमोहर पार्क, दिल्ली - 110049 **इसके अलावा** - सी 201, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, नई दिल्ली- 110028 **इसके अलावा** - औद्योगिक प्लॉट नंबर I-12, डीएलएफ औद्योगिक एस्टेट नंबर 1, गांव मेवला, महाराजपुर, फरीदाबाद **4. सलिल गुप्ता (निदेशक और गारंटर)** निवासी-पता - बी-13, गुलमोहर पार्क, दिल्ली- 110049 **5. शालिनी गुप्ता (गारंटर)** निवासी- पता - बी-13, गुलमोहर पार्क, दिल्ली- 110049 **इसके अलावा** - औद्योगिक प्लॉट नंबर वाई-195, नारायणा वेयर हाउसिंग स्कीम, लोहा मंडी सी 201, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, नई दिल्ली- 110028 **6. मेसर्स इंस्टिंक्ट इंफ्रा एंड पावर लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर)** रजिस्टर्ड - कॉर्पोरेशन कार्यालय - सी 201, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, नई दिल्ली 110028 **इसके अलावा** - औद्योगिक प्लॉट नंबर वाई-195, नारायणा वेयर हाउसिंग स्कीम, लोहा मंडी	1. वह संपूर्ण भूखंड जो नारायणा वेयर हाउसिंग स्कीम, लोहा मंडी, दिल्ली के लेआउट प्लान में औद्योगिक प्लॉट नंबर वाई-195, ब्लॉक वाई में है। जिसका क्षेत्रफल 167 वर्ग गज या 139.63 वर्ग मीटर है, जो श्री रवि गुप्ता, श्रीमती शालिनी गुप्ता और मेसर्स इंस्टिंक्ट इंफ्रा एंड पावर लिमिटेड के नाम पर है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर-प्लॉट नंबर 196, पूर्व-सर्विस रोड, दक्षिण-प्लॉट नंबर 194, पश्चिम-रोड, बिक्री विलेख के अनुसार। 2. वह संपूर्ण भूखंड जो नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज I, दिल्ली के लेआउट प्लान में ब्लॉक सी में औद्योगिक प्लॉट नंबर 201 में है। जिसका क्षेत्रफल 601 वर्ग गज है, श्रीमती शालिनी गुप्ता और श्रीमती मीना गुप्ता के नाम पर है। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर-सर्विस रोड, पूर्व-प्लॉट संख्या 200, दक्षिण-रोड, पश्चिम-प्लॉट संख्या 202, बिक्री विलेख के अनुसार 3. औद्योगिक प्लॉट संख्या I-12, डीएलएफ औद्योगिक एस्टेट संख्या 1, गॉव मेवला महाराजपुर, तहसील और जिला फरीदाबाद में है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग गज है, श्रीमती मीना गुप्ता के नाम पर है। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर-प्लॉट संख्या I/29, पूर्व-प्लॉट संख्या I/11, दक्षिण-रोड, पश्चिम-प्लॉट संख्या I/13, बिक्री विलेख के अनुसार।	A) 04.01.2025 B) रु. 44,78,18,027.70 + अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क घटाकर वसूली, यदि कोई हो C) 27.03.2025 D) सांकेतिक कब्जा (सभी तीन)	1. A) 222.00 लाख B) 22.20 लाख C) 25,000/- 2. A) 1385.00 लाख B) 138.50 लाख C) 50,000/- 3. A) 496.00 लाख B) 49.60 लाख C) 25,000/-	30.07.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपर्राह 04.00 बजे	बैंक को ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1). नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://baanknet.com) ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई-400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220 द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://baanknet.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल (1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ सभी मामलों में जारी किया गया है (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com & www.pnbindia.in देखें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक : 13.06.2025, स्थान : नई दिल्ली

पवन सिंह यादव, मो. 8595816855 प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक